



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012023-242018
CG-DL-E-17012023-242018

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]
No. 27]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2023/पौष 26, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2023/PAUSHA 26, 1944

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 28(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस मंत्रालय के भर्ती नियम (स्टाफ कार चालक), 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- लागू होना:-** ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन स्तर संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट अनुसार होगा।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- निरर्हता -** कोई व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
(ii) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो, बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के पालन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए इन नियमों के किन्हीं उपबंधों में से किसी वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में छूट दे सकती है।
6. **अपवाद-** इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद या गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)	2* (2022) *कार्य भार पर निर्भर विचलन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अ-राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	पे लेवल 2 (रु.19900-63200)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष* (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट दी जा सकती है) नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तारीख)। *यदि सीधी भर्ती 'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा' के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के लिए लागू होंगी	परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि	भर्ती का माध्यम, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: 1. मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस; 2. मोटर का मशीनी ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में मामूली दोषों को सुधारने में सक्षम हो); 3. मोटर कार चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; और	लागू नहीं	सीधी भर्ती या पुनः नियोजन के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा पूर्व-सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःसेवायोजन

4. 10वीं कक्षा पास हो वांछनीय: 5. होम गार्ड/सिविल स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा नोट 1: अनुभव से संबंधित योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में वेतन स्तर 1 में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह ग कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसा न होने पर कॉलम 7 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं रखने वाले केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर या नियमित समूह ग के कर्मचारियों से सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःसेवायोजन: सेवानिवृत्त होने वाले या एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले अपेक्षित निर्धारित अनुभव और योग्यता वाले सशस्त्र बल कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी उसके बाद उन्हें पुनःसेवायोजन पर जारी रखा जाएगा। नोट: केंद्र सरकार के इस या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।	1. निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) – अध्यक्ष 2. अन्य मंत्रालय से अवर सचिव – सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा.) – सदस्य	लागू नहीं

स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड – II

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे लेवल	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II	1 *(2022) *कार्यभार पर निर्भर अंतर के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन लेवल 4 (रु. 25500-81100)	गैर-चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के लिए लागू होंगी	परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि	भर्ती का माध्यम, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति

भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: ग्रेड में 9 साल की नियमित सेवा के साथ पे लेवल 2 में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड), सरकार द्वारा निम्नआधार पर निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यावहारिक ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन: अंग्रेजी अंकों और अंकों को पढ़ने में सक्षम हो; यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो; दोषों का पता लगाने और मामूली चलने वाली मरम्मत करने में सक्षम हो; और पहियों को बदलने और टायरों में सही ढंग से हवा भरने में सक्षम हो	पदोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) – अध्यक्ष 2. अवर सचिव – सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा.) – सदस्य	लागू नहीं

स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड – I पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-I	1 *(2022) *कार्यभार पर निर्भर अंतर के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	पे लेवल 5 (रु. 29200-92300)	गैर-चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के लिए लागू होंगी	परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि	भर्ती का माध्यम, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति

भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति : स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II पे लेवल 4 में ग्रेड में 6 साल की नियमित सेवा या स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) में 15 साल की संयुक्त सेवा के साथ सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक निम्नलिखित व्यावहारिक ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करने के अधीन: अंग्रेजी अंकों और अंकों को पढ़ने में सक्षम हो; यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो; दोषों का पता लगाने और मामूली मरम्मत करने में सक्षम हो; और पहियों को बदलने और टायरों में सही ढंग से हवा भरने में सक्षम हो	पदोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) – अध्यक्ष 2. अवर सचिव – सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा.) – सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. प्रशा.-46/76/2015-प्रशा.]

पल्लवी अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

G.S.R. 28(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of this Ministry's Recruitment Rules (Staff Car Driver), 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver in the Ministry of Women and Child Development, namely:-

- Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Women and Child Development (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**-These rules shall apply to the posts mentioned in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay level.-** The number of said posts, their classification, pay level attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (11) of the said Schedule.
5. **Disqualification.-** No person,-
 - (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE)

Name of Post	No. of Post	Classification	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (ordinary grade)	2* (2022) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 2 (Rs.19900-63200)	Not Applicable	18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in all States/Union Territories (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul&Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

					*if the direct recruitment is to be made by 'direct open competitive Examination', the age-limit would be 18-27 years. In case of recruitment through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to forward names.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation , if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: i. Possession of a valid driving license for motor cars; ii. Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in the vehicle); iii. Experiencing of driving a motor car for at least three years; and iv. Pass in 10th standard. Desirable: 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteers. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. Note 2: The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation , if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

In case of recruitment / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Pay level 1 in the Ministry of Women & Child Development who possess valid Driving License for Motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Pay Level 1 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column 7. Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	1. Director/Deputy Secretary (Admn.) - Chairperson 2. Under Secretary from another Ministry - Member 3. Under Secretary(Admn.) -Member	Not applicable

STAFF CAR DRIVER GRADE – II

Name of Post	Number of post	Classification	Pay Level	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver Grade II	1 *(2022) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 4 (Rs.25500-81100)	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Pay Level 2 with 9 years of regular service in the grade subject to passing of a practical trade test, specified by the Government based on the following: i. Must be able to read English numerals and figures; ii. Must have good knowledge of Traffic Regulations; iii. Must be able to locate faults and carry out minor running repairs; and iv. Must be able to change wheels and correctly inflate tyres	Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: - Director/Deputy Secretary (Admn.) - Chairperson - Under Secretary - Member - Under Secretary(Admn.) - Member	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STAFF CAR DRIVER GRADE – I

Name of Post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Staff Car Driver Grade I	1 *(2022) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 5 (Rs.29200-92300)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion Staff Car Driver Grade - II in Pay Level 4 with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade —II and Staff Car Driver(Ordinary Grade) subject to passing of a practical trade test, specified by the Government based on the following: i. Must be able to read English numerals and figures; ii. Must have good knowledge of Traffic Regulations; iii. Must be able to locate faults and carry out minor running repairs; and iv. Must be able to change wheels and correctly inflate tyres	Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: 1. Director/Deputy Secretary (Admn.) - Chairperson 2. Under Secretary - Member 3. Under Secretary(Admn.) - Member	Not applicable.

[F. No. ADMN-46/76/2015-ADMIN.]

PALLAVI AGARWAL, Jt. Secy.